## कार्यालय हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 588 /म0यो0/नियोजन/04/2016–17 दिनांक: 30/6/2016

### कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या– 837/V–2–2016–127(आ0)/15–टी0सी0 दिनांक 03.06.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–5 के अधीन प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड के विनियमित क्षेत्रों हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन–2015) प्रख्यापित किये जाने की स्वीकृति अधिसूचना संख्या 2015/V/आ0–2015–55(आ0)/ 2006–टी0सी0 दिनांक 08.12.2015 द्वारा प्रदान की गयी है।

उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार भारत सरकार के Ease of Doing Buisness कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था एवं तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन–2015) में संशोधनों को लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति प्रदान की गयी है।

उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

उप सचिव,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उपाध्यक्ष महोदय को दिये गये निर्देशों के क्रम में सादर सूचनार्थ।
2. उप सचिव, रूड़की/ऋषिकेश, शाखा कार्यालय, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
3. मुख्य वित्त अधिकारी, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
5. समस्त सहायक अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
6. समस्त अवर अभियन्ता, ह0रू0वि0प्रा0, हरिद्वार।
7. प्रशासनिक अधिकारी को अभिलेखार्थ।
8. सम्बन्धित कार्यालय सहायकों को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

प्रेषक,

उप सचिव,
हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण,
हरिद्वार।

सेवा में,

सचिव,
आवास,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

पत्रांक: 589 /म०वि०/नियोजन/04/2016–17 दिनांक: 30/6/2016

विषयः– भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2011 (संशोधन–2015) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–837/V–2–2016–127(आ०)/15–टी०सी० दिनांक 03 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में भारत सरकार के Ease of Doing Buisness कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था एवं तृतीय पक्ष के द्वारा निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कराने पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानानुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन–2015) में संशोधनों को लागू किये जाने हेतु यथावश्यकतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देश किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। जिसकी प्रति शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(प्रत्यूष सिंह)
उप सचिव